

Online - ~~disposal~~
वाह बिहार की समुद्र

अनुसूचि 14 फारम 462 (देखे अभिलेख हरतक 194 'क' का नियम 129)

स्काह

ता०.....आदेश पत्रक संख्या.....

केश का प्रकार..... 23/2015-16

जिला..... सत्र..... सो.....

उ

संख्या और
दिनांक

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे
में टिप्पणी तारीख सहित

1


2


3

3/3/15


इण्डियन ओवरसीज बैंक खूंटी
शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किये हैं कि
निलाम देनदार श्री गोबन्द राम
पिता श्री सुत नरेश चन्द्र मन्ना
प्राग खूंटी पो खूंटी
थागा खूंटी के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके
विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की
राशि का स्टाम्प रु० का दायर किया गया है जो अभिलेख के
साथ संलग्न है। उपर्युक्त
तथ्य से मैं सहगत हूँ। निलाम देनदार धारा 7 पी०डी०आर० एक्ट के अन्तर्गत
नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 3/9/15 को प्रस्तुत करें।
लेखापित एवं सत्यापित

मुल + छुट
318/08 = रु
C. fee - 8040 = रु
P. fee - 25 = रु
कुल - 326173 = रु


निलाम पत्र पदाधिकारी
खूंटी।


निलाम पत्र पदाधिकारी
खूंटी।

देनदार उपस्थित | देनदार
दिनांक 03/10/15 को शक्ति जमा
कर वसूल कराने के लिए
03/10/15 को शक्ति


3/9/15

31/08/20

अभिलेख अग्र-धारिण/बैंक द्वारा
प्रतिकेस वी/ बैंक द्वारा प्रतिकेस
दिया गया है कि देना (326173200
(जीनियार्य एक्सीट एजा पर सौतेलाग
हय) इ इति अउ इतु अउ इति
उका व भाषे कक्या नही है
अन-बैंक उभाष पत्रे कक्या

पा वाद की कखरि व सफर मिया
जोग है सय व उभाष सुहायत
अभिलेख व सजिस-रुमें ककर
अभिलेखाग में जया म

लखापर व सख्यापर ।



निलाम प्रसादधिवरी निलाम प्रसादधिवरी
सह सह

अनुमोदन प्रदाहिवाची अनुमोदन प्रदाहिवाची
इली, इली।